

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

पत्रांक : 456/वि0प्रा0/निर्माण/2026-27

दिनांक- 06/06/2026

ई-निविदा सूचना

वाराणसी विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरण/सरकारी संस्थाओं/विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा, नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है। कार्य से सम्बन्धित ई-निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर सबमिट की जायेगी।

क सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	बिड पद्धति	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में) समस्त टैक्स सहित	धरोहर राशि(EMD) (रुपये लाख में)	ई-निविदा की प्रारम्भ तिथि	ई-निविदा की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कल्लीपुर आवासीय योजना हेतु 2X10 एम0वी0ए0 क्षमता के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण, 33/11 के0वी0 क्षमता 2X10 एम0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र को ऊर्जित करने हेतु दूठरा स्थित 220/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र से प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को ऊर्जित करने हेतु 33 के0वी0 लाइन निर्माण का कार्य एवं योजना के पाकेट-ए में आवंटियों को विद्युत स्रोत उपलब्ध कराने हेतु 11 के0वी0 लाइन, 11/0.43 के0वी0 ट्रांसफार्मर, एल0टी0 लाइन, सर्विस पैनल व सर्विस कंबुल का निर्माण कार्य।	1643.78	टू-बिड with आर0ए0 आवशन	10,900	33.00	06.06.2026	04.07.2026 अपरान्ह 2:00 बजे	04.07.2026 सांय 4:00 बजे	6 माह
3	कल्लीपुर आवासीय योजना पाकेट-ए में स्ट्रीट लाइट का कार्य।	144.76	टू-बिड with आर0ए0 आवशन	10,900	3.00	06.06.2026	04.07.2026 अपरान्ह 2:00 बजे	04.07.2026 सांय 4:00 बजे	4 माह
2	कल्लीपुर आवासीय योजना पाकेट-ए में आवंटियों के पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 02 अदद नलकूप वोरिंग, पम्पिंग प्लान्ट, नलकूप कक्ष का निर्माण कार्य।	140.81	टू-बिड with आर0ए0 आवशन	10,900	3.00	06.06.2026	04.07.2026 अपरान्ह 2:00 बजे	04.07.2026 सांय 4:00 बजे	4 माह

नियम व शर्तें :-

- उक्त कार्य की निविदा मूल्य (Tender Fee) एवं अग्रिम धरोहर धनराशि (EMD) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट vdavns.com पर उपलब्ध EARNEST MONEY DEPOSIT MANAGEMENT SYSTEM पर अथवा <https://emd.vdapms.in/> लिंक पर सीधे आनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद/प्रपत्र अपलोड कराना होगा।
- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-692/23-07-2024 दिनांक-09.08.2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध गठन के समय जमा करना होगा।
- निविदा की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है।
- निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाइट "http://www.etender.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाइट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- कार्य के मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 5 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम-6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदारों द्वारा देय होगी अथवा सम्पूर्ण आवश्यक जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0 (अधिशाली अभियन्ता, वा0वि0प्रा0 के पक्ष में बन्धक हो) जमा करनी होगी।



7. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर लागू लेबर रोस एवं अन्य निर्देशित करों/देयता की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
8. स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही, यदि निविदादाता/फर्म के किसी पार्टनर का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant), यथा पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास-ससुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई बहन, माता, मामा-मामी, चचेरे भाई-बहन, मौसरे भाई-बहन, आदि वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
9. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
10. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
11. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
12. यदि दो अथवा दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा निविदा की दरें समान दी जाती है तो न्यूनतम निविदादाताओं से सूचित किये जाने वाले अवधि के अन्दर पुनः सील बन्द लिफाफे में संशोधित दर प्राप्त कर तदनुसार विचार किया जा सकता है। यदि फिर भी समान दरें प्राप्त होती हैं तो लाटरी के माध्यम से निविदा पर विचार किया जायेगा।
13. यदि कतिपय कारणों से कोई फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है एवं कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली फर्म/ठेकेदार की समस्त जमानत धनराशि जब्त करके हुए काली सूची में डाला जायेगा।
14. राशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. जॉइंट वेंचर (JV) निविदा मान्य नहीं होगी।
16. निविदा आमंत्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमंत्रण-सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होगी।
17. फर्म द्वारा कराये गये कार्य के किसी मद में कमियाँ परिलक्षित होती है तो उक्त मद में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
18. फर्म/ठेकेदार को अपने कार्यालय का स्पष्ट पता, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल का विवरण अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
19. शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यों से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, (C&D Waste) नियमावली 2016 एवं ग10 N.G.T के अधिनियम 2010 के नियमों के तहत स्वयं के व्यय से निस्तारण करना होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) प्रसंस्करण शुल्क वाराणसी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्लान्ट तक पहुँचाने पर रू0 173/- प्रति टन है। यदि C&D Waste को स्थल से संग्रहण, परिवहन व निस्तारण, वाराणसी नगर निगम द्वारा अनुबन्धित फर्म मे0 इण्डो इन्वायरो इण्टीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा करायेगे, तो उसके लिये वाराणसी नगर निगम द्वारा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए निर्धारित शुल्क रू0 525/- प्रति टन है। इसके अतिरिक्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) नियमावली-2016 के अनुसार 20 टन/दिन या 300 टन/प्रोजेक्ट C&D Waste उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को उक्त C&D Waste को Segregate करना एवं उसके निस्तारण की कार्ययोजना वाराणसी नगर निगम से अनुमोदित कराना अनिवार्य है। उक्त की रशीद, बिल भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।
20. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तों को संज्ञान में लेते हुए ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।
21. क्रंम संख्या-1 पर अंकित वर्णित कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निर्गत "श्रेणी (क) अनुमोदित" विद्युत लाइसेन्स तथा क्र0सं0 02 व 03 पर अंकित कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निर्गत 'क' श्रेणी विद्युत लाइसेन्स जो मार्च, 2027 तक वैध हो, का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
22. वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में विद्युत सम्बन्धी दो या दो से अधिक अनुबन्ध गठित हो अथवा कार्य आवंटित हो, वे फर्म/ठेकेदार इस निविदा में प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिभाग करने की दशा में इनके निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
23. निविदादाता द्वारा पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी से अनुमोदित विद्युत सामग्रियों का ही प्रयोग किया जायेगा एवं प्रयुक्त विद्युत सामग्रियों का निरीक्षण पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी से कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं उक्त के निरीक्षणोपरान्त ही स्थल पर स्थापित कराया जायेगा। कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी को हस्तगत कराये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी, हस्तगत कराने के उपरान्त ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।
24. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्यों हेतु स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तों को संज्ञान को लेते हुए ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।

पत्रांक : /वि0प्र0/निर्माण/2026-27

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
5. संबंधित सचिका/नोटिस बोर्ड।

अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0)
दिनांक-

अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0)